

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: 22(1)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 29.03.2019

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक सेवा के 45 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.03.2019 के द्वारा किये गये हैं। चुनाव आचार संहिता दिनांक 10.03.2019 से तत्काल प्रभाव से लागू होने के कारण अधिकांशतः कार्मिक कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं हुए हैं।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक प.3(1)(7)।/निर्वा./2019/3176 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा 45 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु जारी इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.03.2019 की पालना करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अतः सभी 45 अधिकारीगण/कर्मचारीगण हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा 7 दिवस की अवधि में कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में कार्य छोड़ते हुए (Relinquish) नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कर विभाग को 10 दिवस में अवश्य ही अवगत करावें।

आज्ञा से

29.3.19
(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्र. प. 3(1)(7)।/निर्वा./2019/3176 दिनांक 28.03.2019 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि।
4. संबंधित विभाग।
5. संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
6. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली


29.3.19
संयुक्त शासन सचिव